बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–4./प्राक्01–123/2026 –1019 पटना, दिनांकः– 13.10.26

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0/लेखा परीक्षा–II), बिहार,

पटना।

विषयः– लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अन्तर्गत 05 विभिन्न स्थलों यथा–(i) Gaushpur Chowk in Panchayat Gaushpur Chakmajahid in Block Mahua (ii) Abdulpur Kalika Asthan in Panchayat Rasulpur Mubarak in Block Mahua (iii) Dogra Chowk in Panchayat Mirjanagar in Block Mahua (iv) Paswan Chowk in Panchayat Singhara Dakshni in Block Mahua & (v) Govindpur Bajar Mandir ke pas in Panchayat Govindpur in Block Mahua पर Construction of toilet complex for the year 2026-27 संबंधी कार्यों हेतु प्रति स्थल ₹9,41,656/– मात्र अर्थात कुल ₹47,08,280/– (सैतालीस लाख आठ हजार दो सौ अस्सी रूपये) मात्र की स्वीकृति।

(विपत्र कोड संख्या–36-2215011020002)

आदेशः–प्रमंडलान्तर्गत पाँच स्थलों (यथा– –(i) Gaushpur Chowk in Panchayat Gaushpur Chakmajahid in Block Mahua (ii) Abdulpur Kalika Asthan in Panchayat Rasulpur Mubarak in Block Mahua (iii) Dogra Chowk in Panchayat Mirjanagar in Block Mahua (iv) Paswan Chowk in Panchayat Singhara Dakshni in Block Mahua & (v) Govindpur Bajar Mandir ke pas in Panchayat Govindpur in Block Mahua पर Construction of toilet complex for the year 2026-27 संबंधी कार्यों हेतु प्रति स्थल ₹9,41,656/– मात्र अर्थात कुल ₹47,08,280/– (सैतालीस लाख आठ हजार दो सौ अस्सी रूपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद अंतर्गत स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अंतर्गत मांग सं0– 36–मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम–उपशीर्ष–0002–हस्तचालित ट्युबवेल्स, तालाब एवं कुंए उच्च प्रवाही नलकूप के विषय शीर्ष (27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मद के अन्तर्गत विकलनीय है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि की सीमा तक ही सीमित रहेगा।
4. इस कार्य के लिए कोई नया पद का सृजन नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हाजीपुर होंगे तथा कोषागार हाजीपुर से निकासी की जाएगी।
6. स्वीकृत राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. उक्त कार्य पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
8. इस पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. इस पर सचिव का अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. उक्त कार्य PWD Code एवं वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए किया जाएगा।
11. इस संबंध में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं।

विश्वासभाजन

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:–4/प्राक्01–123/2026 –1019 पटना दिनांक:– 13.10.26

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय एवं कार्य प्रबंधन) कोषांग/कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा0 अभि0 अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0प्रमं0, हाजीपुर/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–10 एवं आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)